न्यायालय उपजिलाधिकारी, मथुरा।

वाद संख्या 16 / वर्ष 2011–12 55/11-12
हरे कृष्णा मूवमेंट वृन्दावन आदि बनाम सरकार
धारा 161 ज०वि० अधिनियम
मौजा– सुनरख बांगर,

7/07/13

निर्णय

प्रस्तुत वाद जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–161 के अन्तर्गत प्रार्थी हरे कृष्णा मूवमेंट वृन्दावन
द्वारा सुव्यक्ता नरसिम्हां दास निवासी छटीकरा रोड वृन्दावन ने अपना प्रार्थना पत्र इस कथन के साथ प्रस्तुत
किया है कि प्रार्थी मौजा सुनरख बांगर तहसील व जिला मथुरा के खसरा संख्या 686, 685, 684, 682, 621,
620, 618, 616, 617, 614, 612, 611, 610, 609, 604, 605, 606, 600, 601, 596 से 599, 590, 592, 593,
594, 589, 463 से 467, 469 से 472, 457, 458, 459, 460, 461, 455, 454 के संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार हैं
व मौके पर काबिज दखील हैं। यह कि उनके उपरोक्त वर्णित खसरा संख्याओं के मध्य मौजा सुनरख बांगर के
चकमार्ग खसरा संख्या 591, 602, 613, 619 व मुख्य मार्ग खसरा संख्या 456 व 622 व नाली के खसरा संख्या
462, 468, 595, 603, 607, 608, 615, 623 हैं। यह उसके उक्त खसरा नम्बरान उपरोक्त नाली व चकरोड से
चिपटे हुए हैं जिनकी कोई काश्त उपयोगिता उसके खसरा नम्बरान और अन्य किसी के खसरा नम्बरान के
अवशेष नहीं है। इस प्रकार से चकरोड, मुख्य मार्ग व नाली उक्त तीनों की कोई उपयोगिता नहीं रह गई है।
प्रार्थी ने अपने उपरोक्त निजी खसरा नम्बरान के रकबा से तबादला किये जाने की याचना की है जिससे
काश्तकार व ग्राम सभा दोनों को ही सुविधा होगी। अन्त में प्रार्थना पत्र के साथ नकल, खतौनी, खसरा आदि
को संलग्न किया है। इस प्रकरण का गहन परीक्षण तहसीलदार, मथुरा से कराया गया। तहसीलदार, मथुरा से
प्राप्त जाँच रिपोर्ट दिनांक 17.02.2010 जो कि पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त जाँच आख्या में यह उल्लेख
किया गया है कि भूमि प्रबंधक समिति सुनरख बांगर के प्रस्ताव दिनांक 30.11.2009 को नक्शा मालियत व
क्षेत्रीय लेखपाल की आख्यानुसार मौजा सुनरख बांगर के प्रश्नगत उपरिवर्णित विनिमय को स्वीकार किये जाने
की संस्तुति की गई है। प्रकरण के अन्तिम आदेश पूर्व प्रार्थी हरे कृष्णा मूवमेंट वृन्दावन, इण्डिया हैरीटेज
फाउण्डेशन, इस्कॉन चैरिटीज व स्नोव्हाइट इन्फ्रा स्ट्रक्चर प्रा०लि० ने वाद में पक्षकार बनाने जाने और वाद के
संशोधन का संयुक्त हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र दिनांक 20.02.2012 को प्रस्तुत किया है, जिसे न्याय हित में
स्वीकार कर तदनुसार वाद के पक्ष एवं संशोधन की अनुमति प्रदान की गई तथा वाद पत्र को संशोधित होने के
उपरान्त प्रकरण में क्षेत्रीय लेखपाल से अभिलेखीय एवं मौके की स्थिति के आधार पर स्पष्ट रिपोट अभियाचित
की गई। उक्त के क्रम में जाँच आख्या दिनांक 5.3.2012 वाद पत्रावली पर उपलब्ध है। जाँच आख्या में
लेखपाल द्वारा भूमि प्रबंधक समिति सुनरख बांगर का प्रस्ताव दिनांक 26.08.2011 भी प्रस्तुत किया। उक्त जाँच
रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि चकमार्ग खा०सं० 764, ख०सं० 591मि० / 0.029 है०, 613मि० / 0.059, 619मि० / 0.
032 कुल रकवा 0.120 है० का विनिमय संस्था हरेकृष्णा मूवमेंट, वृन्दावन की भूमि खा०सं० 35, ख०सं०
589मि० / 0.019, 496मि० / 0.076, 469मि० / 0.007, 470मि० / 0.007, 471मि० / 0.007, 596मि० / 0.009, व
खा०सं० 53, ख०सं० 454मि० / 0.019, कुल रकवा 0.144 है० से। मुख्य मार्ग खाता सं० 767, ख० सं०
622मि० / 0.027 का विनिमय संस्था हरेकृष्णा मूवमेंट, वृन्दावन की भूमि खा० सं० 33, ख०सं० 683मि० / 0.013
है० से। नाली खा०सं० 760, ख० सं० 595मि० / 0.024, 607मि० / 0.031, 608मि० / 0.006, 615मि० / 0.017,
623मि० / 0.007, कुलरकवा 0.085 है० का विनिमय संस्था हरेकृष्णा मूवमेंट, वृन्दावन की भूमि खा०सं०–33, ख०
सं० 683मि० / 0.005 व खा०सं०–35, ख०सं० 589मि० / 0.019, 496मि० / 0.058, 469 / 0.006, 470मि० / 0.006,
471मि० / 0.006, 596मि० / 0.011, व खा०सं०–53, ख०सं० 454मि० / 0.009, कुल रकवा 0.120 से। चक मार्ग
खा०सं० 764, ख० सं० 602 / 0.031, 613मि० / 0.038, 619मि० / 0.002 कुल रकवा 0.071 है० का विनिमय
संस्था स्नोव्हाइट इन्फ्रा स्ट्रकचर की भूमि खा०सं० 100, ख० सं० 612मि० / 0.022 व खा०सं०–315, ख०सं०
604मि० / 0.019 खा०सं०–35, ख०सं० 599मि० / 0.029, 597मि० / 0.010, 596मि० / 0.005, कुल रकवा 0.085
है० से। नाली के खा०सं० 760, ख०सं० 595मि० / 0.097, 603मि० / 0.020, 607मि० / 0.020, 615मि० / 0.001,
कुल रकवा 0.138 है० का विनिमय संस्था स्नोव्हाइट इन्फ्रा स्ट्रकचर की भूमि खा०सं०–100 ख०सं०
612मि० / 0.029 व खा०सं०–315, ख०सं० 604मि० / 0.025 खा०सं०–35, ख०सं० 599मि० / 0.037, 597मि० / 0.
013, 596मि० / 0.005, कुल रकवा 0.109 है० से। चकमार्ग खा०सं० 764, ख०सं० 591मि० / 0.064 का विनिमय
संस्था इण्डिया हेरीटेज फाउण्डेशन की भूमि खा०सं०–35, ख०सं० 472मि० / 0.004, 460मि० / 0.011,
455मि० / 0.031, कुल रकवा 0.046 है० से। मुख्य मार्ग खा०सं०–767, ख०सं० 456मि० / 0.094 है० का विनिमय
संस्था इण्डिया हेरीटेज फाउण्डेशन की भूमि खा०सं०–35, ख०सं० 472मि० / 0.005, 460मि० / 0.015,
455मि० / 0.042, कुल रकवा 0.062 है० से। नाली खा०सं०–760, ख०सं० 462मि० / 0.038, 468मि० / 0.024,
607मि० / 0.006, 608मि० / 0.026 कुल रकवा 0.094 है० का विनिमय संस्था इण्डिया हेरीटेज फाउण्डेशन की
भूमि खा०सं०–35, ख०सं० 472मि० / 0.004, 460मि० / 0.011, 455मि० / 0.044 कुल रकवा 0.059 है० से। मुख्य
मार्ग खा०सं०–767, ख०सं० 622मि० / 0.050 है० का विनिमय संस्था इस्कॉन चेरिटीज की भूमि खा०सं०–33,
ख०सं० 685मि० / 0.026 है० व 683मि० / 0.011 है० कुल रकवा 0.037 है० से। नाली के खा०सं०–760, ख०सं०
623मि० / 0.012 है० का विनिमय संस्था इस्कॉन चेरिटीज की भूमि खा०सं०–33, ख०सं० 685मि० / 0.009 व

683मि०/0.004 है० कुल रकबा 0.013 है० से पारस्परिक विनिमय किये जाने की संस्तुति है। भूमि प्रबंधक समिति सुनरख बांगर ने अपने खसरा नम्बरान 591, 602, 613, 619, 456, 622, 462, 468, 595, 603, 607, 608, 615, 623 जो कि चक मार्ग, मुख्य मार्ग व नाली से सम्बन्धित व प्रस्तावित हैं के सम्बन्ध में अपनी अनापत्ति स्वरूप प्रस्ताव दिनांक 30.11.2009 व 26.08.2011 पारित किया जा चुका है तथा काश्तकारान ने संक्रमणीय भूमिधरी नम्बरान व रकबा से तबादला किये जाने की पूर्ण सहमति दी जा चुकी है, जो कि वाद पत्रावली पर उपलब्ध है। आख्या में यह भी उल्लेख किया गया है कि पक्षों की विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि की मालियत में 10 प्रतिशत से अधिक का अन्तर नहीं है। प्रस्तावित विनिमय किये जाने हेतु रिपोर्ट मय संस्तुति प्रस्तुत की गई है। ग्राम सभा सुनरख बांगर भूमि प्रबंधक समिति के वर्तमान अध्यक्ष श्री पप्पू प्रधान एवं सचिव श्री योगेन्द्रपाल सिंह ने अपने-अपने सशपथ बयान दिनांक-5.3.2012 को स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अंकित कराये गये है, जिसमें उक्त प्रस्तावित विनिमय को स्वीकार किया जाना पक्षों के हित में एवं सुविधाजनक बताया है। संक्रमणीय भूमिधर खातेदारान ने उक्त प्रस्तावित विनिमय को सहमति के सम्बन्ध में अपना-अपना मौखिक कथन अंकित कराते हुए उक्त प्रस्तावित विनिमय को आपसी सहमति के आधार पर स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध जाँच रिपोर्ट, ब्यानात, भूमि प्रबंधक समिति के प्रस्ताव एवं नजरी नक्शा एवं विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमियों की मालियत सम्बन्धित विवरण का भलीभाँति अवलोकन किया तथा पक्षों को सुना। पक्षकारान की सहमति एवं भूमि प्रबंधक समिति सुनरख बांगर के प्रस्ताव व अनापत्ति और जाँच आख्या के आधार पर प्रस्तावित पारस्परिक विनिमय के सम्बन्ध में किसी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है, अपितु दोनों ही अपनी-अपनी सुविधा एवं हित में उक्त विनिमय पर सहमत है। जाँच रिपोर्ट के अनुसार यह भी स्पष्ट है कि विनिमय हेतु पक्षों की प्रस्तावित भूमि की मालियत आदि में 10 प्रतिशत से अधिक का अन्तर नहीं है। वादी द्वारा अपने तर्क के समर्थन में न्यायिक उद्धरण 2008 (104) आर०डी० 52(इलाहाबाद हाई कोर्ट) खचेरु बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रस्तुत किया गया है, जिसमें विनिश्चित किया गया है कि गांव सभा भूमि जो लोक उद्देश्य हेतु आरक्षित हो, उसका विनियम इस शर्त पर किया जा सकता है कि गांव सभा को विनिमय के द्वारा मिलने वाली भूमि उसी लोक उद्देश्य के प्रयोजन में लायी जायेगी। अतः पक्षों की आपसी सहमति एवं भूमि प्रबंधक समिति के प्रस्ताव दिनांक 30.11.2009 व 26.08.2011 व जाँच आख्या दिनांक 17.02.2010 व 05.03.2012 के आधार पर पक्षकारान का विनिमय स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

एतद्द्वारा तहसीलदार, मथुरा की जाँच आख्या व संस्तुति दिनांक 17.02.2010 व जाँच आख्या दिनांक 05.03.2012 तथा मौजा सुनरख बांगर की भूमि प्रबंधक समिति के प्रस्ताव दिनांक 30.11.2009 व 26.08.2011 के आधार पर उपरिवर्णित प्रस्तावित खसरा नम्बरान व रकबा का विनिमय पक्षों की आपसी सहमति पर तद्नुसार स्वीकार कर आदेश किया जाता है कि खा०सं० 35, ख०सं० 589मि०/0.019, 496मि०/0.076, 469मि०/0.007, 470मि०/0.007, 471मि०/0.007, 596मि०/0.009 व खा०सं० 53, ख०सं० 454मि०/0.019, कुल रकबा 0.144 है० से हरेकृष्णा मूवमेंट, वृन्दावन के स्थान पर चक मार्ग। खा०सं० 764, ख०सं० 591मि०/0.029 है०, 613मि०/0.059, 619मि०/0.032 कुल रकबा 0.120 है० से चक मार्ग के स्थान पर हरेकृष्णा मूवमेंट, वृन्दावन। खा०सं० 33, ख०सं० 683मि०/0.013 है० से हरे कृष्णा मूवमेंट वृन्दावन के स्थान पर मुख्य मार्ग। खाता सं० 767, ख०सं० 622मि०/0.027 से मुख्य मार्ग के स्थान पर हरे कृष्णा मूवमेंट वृन्दावन। खा०सं०-33, ख० सं० 683मि०/0.005 व खा०सं०-35, ख०सं० 589मि०/0.019, 496मि०/0.058, 469/0.006, 470मि०/0.006, 471मि०/0.006, 596मि०/0.011, व खा०सं०-53, ख०सं० 454मि०/0.009, कुल रकबा 0.120 है० से हरे कृष्णा मूवमेंट वृन्दावन के स्थान पर नाली। खा०सं० 760, ख० सं० 595मि०/0.024, 607मि०/0.031, 608मि०/0.006, 615मि०/0.017, 623मि०/0.007, कुल रकबा 0.085 है० से नाली के स्थान पर हरे कृष्णा मूवमेंट वृन्दावन। खा०सं० 100, ख० सं० 612मि०/0.022 व खा०सं०-315, ख०सं० 604मि०/0.019 खा०सं०-35, ख०सं० 599मि०/0.029, 597मि०/0.010, 596मि०/0.005, कुल रकबा 0.085 है० से स्नोव्हाइट इन्फ्रा स्ट्रक्चर प्रा०लि० के स्थान पर चक मार्ग। खा०सं० 764, ख० सं० 602/0.031, 613मि०/0.038, 619मि०/0.002 कुल रकबा 0.071 है० से चक मार्ग के स्थान पर स्नोव्हाइट इन्फ्रा स्ट्रकचर प्रा०लि०। खा०सं०-100 ख०सं० 612मि०/0.029 व खा०सं०-315, ख०सं० 604मि०/0.025 खा०सं०-35, ख०सं० 599मि०/0.037, 597मि०/0.013, 596मि०/0.005, कुल रकबा 0.109 है० से स्नोव्हाइट इन्फ्रा स्ट्रकचर प्रा०लि० के स्थान पर नाली। खा०सं० 760, ख०सं० 595मि०/0.097, 603मि०/0.020, 607मि०/0.020, 615मि०/0.001, कुलरकबा 0.138 है० से नाली के स्थान पर स्नोव्हाइट इन्फ्रा स्ट्रकचर प्रा०लि०। खा०सं०-35, ख०सं० 472मि०/0.004, 460मि०/0.011, 455मि०/0.031, कुल रकबा 0.046 है० से इण्डिया हेरीटेज फाउण्डेशन के स्थान पर चक मार्ग। खा०सं० 764, ख०सं० 591मि०/0.064 है० से चक मार्ग के स्थान इण्डिया हेरीटेज फाउण्डेशन। खा०सं०-35, ख०सं० 472मि०/0.005, 460मि०/0.015, 455मि०/0.042, कुल रकबा 0.062 है० से इण्डिया हेरीटेज के स्थान पर मुख्य मार्ग। खा०सं०-767, ख०सं० 456मि०/0.094 है० से मुख्य मार्ग के स्थान पर इण्डिया हेरीटेज फाउण्डेशन। खा०सं०-35, ख०सं० 472मि०/0.004, 460मि०/0.011, 455मि०/0.044 कुल रकबा 0.059 है० से इण्डिया हेरीटेज फाउण्डेशन के स्थान नाली। खा०सं०-760, ख०सं० 462मि०/0.038, 468मि०/0.024, 607मि०/0.006, 608मि०/0.026 कुल रकबा 0.094 है० से नाली के स्थान पर इण्डिया हेरीटेज फाउण्डेशन। खा०सं०-33, ख०सं० 685मि०/0.026 है० व 683मि० /0.011 है० कुल रकबा 0.037 है० से इस्कॉन चेरिटीज के स्थान पर मुख्य मार्ग। खा०सं०-767, ख०सं० 622मि०/0.050 है० से मुख्य मार्ग के स्थान पर इस्कॉन चेरिटीज। खा०सं०-33, ख०सं० 685मि०/0.009 व 683मि०/0.004 है० कुल रकबा

0.013 है० से इस्कॉन चेरिटीज के स्थान पर नाली। खा०सं०–760, ख०सं० 623मि०/ 0.012 है० से नाली के स्थान पर इस्कॉन चेरिटीज दर्ज किया जाय। इस आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार, मथुरा को तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद हेतु प्रेषित की जाए। वाद आवश्यक कार्यवाही वाद पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

दिनांक :

(अमर पाल सिंह)
उपजिलाधिकारी, मथुरा

यह आदेश खुले न्यायालय में पढ़ कर सुनाया गया।

दिनांक :

(अमर पाल सिंह)
उपजिलाधिकारी, मथुरा

निरस्त

निरस्त

नि:

निरस्त

क्रमांक — 584
नाम प्रार्थी — [illegible]
प्रा०पत्र देने का दि० — 6/6/2012
स्टाम्प — 13
नकल तैयार होने का दि० — 6/6/2012
नकल वापस करने का दि० — 6/6/2012
पन्नों की संख्या — [illegible]

सत्य प्रतिलिपि
B.K.
अहलमद, उपजिलाधिकारी
मथुरा
6/6/2012